न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 66/2021

शीर्षक

1. श्रीमती कमली देवी पत्नी भोमा राम
2. श्रीमती संतोष देवी पत्नी फूलचन्द
   समस्त वयस्क, समस्त जाति जाट, समस्त निवासी ग्राम–हनुतपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. सोनी देवी पत्नी भगला उर्फ मंगला
2. रामकुवार पुत्र भगला उर्फ मंगला
3. गुल्ला पुत्र घासी
4. कमलेश पुत्र सुण्डा
5. झाबर मल पुत्र सुण्डा
6. देवीलाल पुत्र सुण्डा
7. सागरमल पुत्र सुण्डा
8. सन्तरा पुत्री सुण्डा
9. श्रवणी देवी पत्नी सुण्डा
10. नानछा उर्फ नानूराम पुत्र घासी
    समस्त वयस्क समस्त जाति जाट समस्त निवासी–हनुतपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान
11. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
12. शाखा प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बिलान्दरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान
13. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा करीरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
14. पटवारी पटवार हल्का हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
15. उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील अमरसर, जिला जयपुर, राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

–प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

दावा बाबत् खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 25-11-22

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता संख्या 187 के हाल खसरा नंबर 200/0.52, 201/0.25, 202/0.22, 203/0.62, 221/0.11, 222/0.43, 229/0.21, 230/0.86, 231/0.22, 232/0.32, 233/0.23 कुल किता–11 कुल रकबा 3.99 है0 वाकै ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का हनुतपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र पेश है। वर्णित आराजी खसरा नंबर 203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नंबर 233 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण (यानी कुल 0.55 है0 भूमि) वाकै ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का हनुतपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 01,02,03,10 व 04 लगायत 09 के पूर्वज सुण्डा पुत्र घासी द्वारा वादीगण के कर दिया था एवं बेचान की गयी भूमि का कब्जा खरीददारान को पूर्ण रूप से सम्भला दिया गया था। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खरीद के समय से आज तक बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान में भी आराजी मुतनाजा पर वादीगण अपने अधिकारों के तहत काबिज है।

वादीगण का उक्त खरीदशुदा भूमि पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा था जिसको वादीगण ने आराजी मुतनाजा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 01,02,03,10 व 04 लगायत 09 के पूर्वज सुण्डा पुत्र घासी क्रय करने के समय ही आराजी मुतनाजा का कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं तब से निरन्तर आज तक बिना किसी बाधा के अपने अधिकारों के तहत काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने आराजी को खरीदने के 5–7 दिन बाद खरीद की हुई आराजी का खाता नामान्तरकरण अपने नाम किये जाने हेतु निवदेन कर दिया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र की प्रति अपने पास रखकर वादीगण को आश्वस्त कर दिया था कि इसकी दो चार दिन में आपके द्वारा खरीद की गयी भूमि का नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर आपके नाम खोल दूंगा

सहायक क टर

इस वादीगण ने पटवारी हल्का की बात पर विश्वास कर लिया एवं आराजी मुतनाजा पर अपने अधिकारों के तहत काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं एवं उन्हें कानूनी संबंधी जानकारी भी नहीं रही है। वादीगण को खरीद की गयी भूमि के राजस्व रिकार्ड की कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी एवं चूंकि खरीद की गयी भूमि पर कब्जा वादीगण का अपने अधिकारों के तहत चला ही आ रहा था इस कारण भी इन्होंने कभी राजस्व रिकार्ड की जानकारी भी नहीं करी एवं हल्का पटवारी के बयान पर विश्वास करके वादीगण यही मान कर आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अमलदरामद हो गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 10 व लगा0 9 के पूर्वज सुण्डा पुत्र घासी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नम्बर 203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.23 है0 संपूर्ण (यानी कुल 0.55 है0 भूमि) को मूल्यवान प्रतिफल अदा कर खरीद की है तब से ही खरीदशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग आज तक करते चले आ रहे हैं। इस कारण वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2012 के आधार पर अपनी खरीदशुदा भूमि की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है।

आज से सप्ताहभर पूर्व वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर बा–जोत कर रहे थे तो प्रतिवादीगण चार–पांच अनजान व्यक्तियों के साथ वादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि की ओर इशारा करते हुए बेचान की बाते कर रहे थे तो वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि ये भूमि हमारी खरीदशुदा भूमि है इस भूमि का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं तो प्रतिवादीगण भड़क गए तथा वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि उक्त भूमि हमारे नाम से वर्तमान में खातेदारी भूमि है जिसको बेचने की हमें पूरा अधिकार है और धमकी दी की शीघ्र ही हम इस भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान करके रहेंगे तथा दीगर व्यक्तियों को उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करवाकर तुम्हें बेदखल करके रहेंगे। जिस पर वादीगण ने अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि की जमाबन्दी की नकल निकलवाकर देखी तो जमाबन्दी में वादीगण का नाम अंकन नहीं होने की जानकारी मिली।प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार की धमकी देने व दीगर व्यक्तियों को बेचान करने व बेदखल करने की धमकी देने के कारण व वादीगण को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी होने से उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अंत में निवदेन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 10 व लगा0 9 के पूर्वज सुण्डा पुत्र घासी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2012 के आधार पर खरीदशुदा भूमि आराजी हाल खाता संख्या 187 के हाल खसरा नम्बर 203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नंबर 233 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण (यानी कुल 0.55 है0 भूमि) वाकै ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का हनुतपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

प्रतिवादीगण सं0–1 लगा0 10 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करें तथा दीगर व्यक्तियों को बेचान हरनबयहस्तान्तरण नहीं करें ऐसा न तो स्वयं करे न ही वे अपने नौकर सर्वेन्ट, एजेन्ट, उत्तराधिकारियों से करावे वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व हर्जा खर्चा वाद एवं अन्य सहायता बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय उचित आदेश फरमावे जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी को वाद पत्र पर सुना गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नंबर 233 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण यानि कुल 0.55 है0 भूमि वाकै ग्राम हनुतपुरा तह0 शाहपुरा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2012 को प्रतिवादी संख्या 01,02,03,10 व 4 लगायत 9 के पूर्वज सुण्डा पुत्र घासी द्वारा वादीगण को कर दिया गया था। बेचान की गई भूमि का कब्जा खरीददारान् को पूर्ण रूप से सम्भला दिया था। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खरीद के समय से आज तक बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण का प्रश्नगत आराजी का आज तक नामान्तरकरण नहीं खोला गया जिसके कारण वर्तमान में उक्त आराजी की जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है नियमों की जानकारी के अभाव में विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवाया गया है। अन्त में वकील वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरकरण वादी के हक में करवाने हेतु निवेदन किया तथा वर्तमान में रहन भूमि को विक्रय पत्र की हद तक रहन मुक्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नंबर 233 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण यानि कुल 0.55 है0 भूमि वाकै ग्राम हनुतपुरा तह0 शाहपुरा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2012 को प्रतिवादी संख्या 01,02,03,10 व 4 लगायत 9 के पूर्वज सुण्डा पुत्र घासी द्वारा वादीगण को बेचान कर दिया गया था। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी खसरा नंबर203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नंबर 233 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण यानि कुल 0.55 है0 भूमि वाकै ग्राम हनुतपुरा तह0 शाहपुरा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी जो कि प्रतिवादी संख्या 11 से 13 के नाम रहन को वादीगण के हिस्से में आई भूमि की हद तक रहन मुक्त किया जाता है। वादीगण के हिस्से में रहन मुक्त की गई भूमि का रकबा प्रतिवादीगण के हिस्से में शेष रही भूमि पर रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे। तहसीलदार शाहपुरा को अमल दरामद हेतु लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-11-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 66/2021

शीर्षक

1. श्रीमती कमली देवी पत्नी भोमा राम
2. श्रीमती संतोष देवी पत्नी फूलचन्द
3. समस्त वयस्क, समस्त जाति जाट, समस्त निवासी ग्राम–हनुतपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1.सोनी देवी पत्नी भगला उर्फ मंगला
2.रामकुवार पुत्र भगला उर्फ मंगला
3.गुल्ला पुत्र घासी
4.कमलेश पुत्र सुण्डा
5.शाबर मल पुत्र सुण्डा
6.देवीलाल पुत्र सुण्डा
7.सागरमल पुत्र सुण्डा
8.सन्तरा पुत्री सुण्डा
9.श्रवणी देवी पत्नी सुण्डा
10.नानछा उर्फ नानूराम पुत्र घासी
समस्त वयस्क समस्त जाति जाट समस्त निवासी–हनुतपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान
11.शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
12.शाखा प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बिलान्दरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान
13.शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा करीरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
14.पटवारी पटवार हल्का हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
15.उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील अमरसर, जिला जयपुर, राजस्थान
16.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 25-11-22

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नंबर 233 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण यानि कुल 0.55 है0 भूमि वाकै ग्राम हनुतपुरा तह0 शाहपुरा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.02.2012 को प्रतिवादी संख्या 01,02,03,10 व 4 लगायत 9 के पूर्वज सुण्डा पुत्र घासी द्वारा वादीगण को बेचान कर दिया गया था। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी खसरा नंबर203 रकबा 0.62 है0 में से हिस्सा 32/62 व आराजी खसरा नंबर 233 रकबा 0.23 है0 सम्पूर्ण यानि कुल 0.55 है0 भूमि वाकै ग्राम हनुतपुरा तह0 शाहपुरा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी जो कि प्रतिवादी संख्या 11 से 13 के नाम रहन को वादीगण के हिस्से में आई भूमि की हद तक रहन मुक्त किया जाता है। वादीगण के हिस्से में रहन मुक्त की गई भूमि का रकबा प्रतिवादीगण के हिस्से में शेष रही भूमि पर रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे। तहसीलदार शाहपुरा को अमल दरामद हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 25-11-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	